राजस्व वाद नं. 20/2022
उनवानी भागीरथमल आदि बनाम प्रभुदयाल आदि
निर्णय दिनांक 25-04-2022
GCMS NO. 2022/30

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :— **20/2022**

1. भागीरथमल पुत्र रामकरण
2. दुर्गाप्रसाद पुत्र रामकरण
3. द्रोपती पत्नि स्व. श्री शिव कुमार
4. राजू पुत्र स्व. श्री शिव कुमार
5. सुनील कुमार पुत्र स्व. श्री शिव कुमार
6. अनिता शर्मा पुत्री स्व. श्री शिव कुमार
7. लक्ष्मी देवी शर्मा पुत्री स्व. श्री शिव कुमार
8. सुनीता कुमारी शर्मा पुत्री स्व. श्री शिव कुमार
9. सरवनी पत्नि स्व. मातादीन

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी रसुलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

............वादीगण

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र तुलसीराम
2. विद्या देवी पत्नि स्व. गिरधारीलाल
3. मनीष कुमार पुत्र स्व. गिरधारीलाल
4. सुनिता पुत्री स्व. गिरधारीलाल
5. सरोज पुत्री स्व. गिरधारीलाल

   समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी रसुलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

...................प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:07 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :—

1. श्री गिरधारीलाल सैनी अभिभाषक वादीगण
2. श्री प्रताप सिंह गूर्जर अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ल. 5

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

राजस्व वाद नं. 20/2022
उनवानी भागीरथमल आदि बनाम प्रभुदयाल आदि
निर्णय दिनांक 25-04-2022
GCMS NO. 2022/30

दावा – घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

-: निर्णय :- **दिनांक :-25-04-2022**

वादीगण की ओर से इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया है कि ग्राम रसुलपुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 253, 263, 264, 615, 998, 999, 614, 571 कुल किता 7 कुल रकबा 74 बीघा 4 बिस्वा वादीगण के पूर्वज रामकरण व प्रतिवादीगण के पूर्वज तुलसीराम की कदीमी कब्जे शुदा काश्त की भूमि थी। इस भूमि के 2/3 भाग का वादीगण का पूर्वज रामकरण एवं 1/3 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का पूर्वज तुलसीराम गत 80 वर्षों से बांहमी बंटवारा कर अलग अलग काश्त करता था। वादीगण का पूर्वज रामकरण एवं प्रतिवादीगण का पूर्वज तुलसीराम दोनों सगे भाई थे। इन दोनों के नाम से उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में से कुछ भूमि की खातेदारी कालू पुत्र छोटू गूर्जर पड़ौसी के नाम दर्ज हो गई जिसे दुरूस्त करवाया गया लेकिन भूमि अकेले प्रतिवादीगण के पूर्वज तुलसीराम के नाम दर्ज हो गई। वाद पत्र के खण्ड नम्बर 1 में वर्णित भूमि को दौराने पैमाईश अधिकारियों ने वादीगण के पूर्वज रामकरण व प्रतिवादीगण के पूर्वज तुलसीराम का कब्जा काश्त के अनुसार बांहमी बंटवारे को मानते हुये भूमि की खातेदारी वादीगण के पिता रामकरण व प्रतिवादीगण के पिता तुलसीराम के नाम से अलग अलग दर्ज कर दी। पैमाईश अधिकारियों ने उपरोक्त वर्णित भूमि के हाल खसरा नम्बर 695, 739, 568, 1000, 1001, 567, 694, 569, 570, 738 निर्मित किये गये। हाल खसरा नम्बर 695 रकबा 4.10 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 739 रकबा 0.73 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.34 हेक्टेयर सम्पूर्ण की खातेदारी व खसरा नम्बर 1000 रकबा 2.54 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1001 रकबा 1.16 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.70 हेक्टेयर में से 1/3 हिस्से की खातेदारी व खसरा नम्बर 567 रकबा 0.11 हेक्टेयर में से 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण के पूर्वज तुलसीराम के नाम कर दी जो बिलकुल सही दर्ज कर दी एवं वादीगण के पूर्व रामकरण के नाम खातेदारी खसरा नम्बर 738 रकबा 2.04 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 569 रकबा 0.04 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 570 रकबा 1.07 हेक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1000 रकबा 2.54 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1001 रकबा 1.16 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.70 हेक्टेयर में से 2/3 हिस्से की खातेदारी व खसरा नम्बर 567 रकबा 0.11 हेक्टेयर में से 1/2 हिस्से की खातेदारी जो बिलकुल सही दर्ज की एवं खसरा नम्बर 694 रकबा 6.58 हेक्टेयर में से 1/2 हिस्से की खातेदारी वादीगण के पूर्वज रामकरण व 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण के पूर्वज तुलसीराम के नाम दर्ज की जो गलत दर्ज कर दी जबकि खसरा नम्बर 694 रक[illegible] हेक्टेयर की खातेदारी अकेले वादीगण के पूर्वज रामकरण के [illegible] क्योंकि इस भूमि पर वादीगण के पूर्वज का ही एक[illegible] और खसरा नम्बर 694 की सम्पर्ण खातेदारी वादीगण के नाम पर होने से [illegible] वादीगण का वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि का 2/3 हिस्सा पूर्ण होता है। वादीगण ने हाल खसरा नम्बर 1000, 1001 में अपने 2/3 हिस्से का बेचान भोमाराम, शैतान गूर्जर को कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

दिया। हाल खसरा नम्बर 694 ग्राम रसुलपुर में था वर्तमान में नया राजस्व ग्राम ताल बनने पर हाल खसरा नम्बर 694 रकबा 6.58 हेक्टेयर वर्तमान में ताल में है जिस पर सम्पूर्ण पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पति/पिता गिरधारीलाल के नाम से खसरा नम्बर 694 की खातेदारी के 1/2 हिस्से में नाम दर्ज होने की जानकारी होने पर वादीगण ने गत राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो पैमाईश द्वारा की गई त्रुटि की जानकारी हुई तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये। ग्राम ताल के खसरा नम्बर 694 रकबा 6.58 हेक्टेयर कि 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पति/पिता के नाम रहने से वादीगण की हकतलफी है। ग्राम ताल पटवार हल्का रसुलपुर स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 694 रकबा 6.58 हेक्टेयर में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पति/पिता गिरधारीलाल पुत्र तुलसीराम का नाम हजफ करवाने का वादीगण को कानूनन अधिकार है और इनके नाम से दर्ज 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने का वादीगण को कानूनन अधिकार है। खातेदार शिवकुमार पुत्र रामकरण का देहान्त हो चुका है। जिसके विधिक वारीस वादी संख्या 3 लगायत 8 है एवं खातेदार मातादीन पुत्र रामकरण का भी देहान्त हो चुका है जिसके विधिक वारीस वादीया संख्या 9 है। खातेदार गिरधारीलाल पुत्र तुलसीराम का देहान्त हो चुका है जिसके विधिक वारीस प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 है। वादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 6 से वाद वर्णित विवादित भूमि पर ऋण ले रखा है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 6 को पक्षकार बनाया गया है जिसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 7 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है। आधार वाद पैमाईश अधिकारियों द्वारा हाल खसरा नम्बर 694 की खातेदारी में प्रतिवादीगण के पूर्वज तुलसीराम का 1/2 हिस्सा दर्ज करने से व प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने से गत माह इन्कार करने से पैदा हुआ जो सावधी है, वैसे भी अधिकार घोषणा व दुरूस्ती के लिए कानून में कोई मियाद नियत नहीं है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

(क) वाके ग्राम ताल पटवार हल्का रसुलपुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 694 रकबा 6.58 हेक्टेयर कि खातेदारी के 1/2 हिस्से में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पति/पिता गिरधारीलाल पुत्र तुलसीराम का नाम हजफ किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 को 1/8–1/8 हिस्से [illegible] लगायत 8 को 1/8 हिस्से का व वादी संख्या 9 को 1/8 हिस्से [illegible] काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर [illegible] हेतु डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान की जावे।

(ख) कि वादीगण को खर्चा दावा दिलया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 प्रफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से श्री प्रतापसिंह गूर्जर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया।

दिनांक 24.02.2022 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम ताल पटवार हल्का रसुलपुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 694 रकबा 6.58 हेक्टेयर भूमि गत 80 वर्ष पूर्व हुये बांहमी बंटवारे के अनुसार वादीगण के ही कब्जे काश्त में है। हम प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इस कारण लोक अदालत की भावना से पक्षकारान का राजीनामा हो गया है। हम प्रतिवादीगण का उक्त वाद वर्णित भूमि में दर्ज 1/2 हिस्से से नाम हजफ कर उक्त सम्पूर्ण भूमि को वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की कृपा करें। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पति/पिता गिरधारीलाल पुत्र तुलसीराम जाति ब्राहम्ण निवासी रसुलपुर का नाम ग्राम ताल स्थित भूमि खसरा नम्बर 694 रकबा 6.58 हेक्टेयर से हजफ किया जावे। वादीगण की पहचान श्री गिरधारीलाल सैनी एडवोकेट व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की पहचान श्री प्रताप सिंह गूर्जर एडवोकेट ने की। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.02.2022 को बाद स्वीकार व तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्यवादी बन्द की गई।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी राजस्व ग्राम रसुलपुर संवत 2031–34 खाता संख्या 107, 108, 297 नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम रसुलपुर किता 2, नकल जमाबन्दी संवत 2075–78 ग्राम ताल खाता संख्या नया 156, 157, 221, 251, नकल जमाबन्दी संवत 2075–78 ग्राम रसुलपुर खाता संख्या नया 195, 114, 115, नकल खतौनी बन्दोबस्त मौजा रसुलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं संवत 2012–2021 खाता संख्या 511, 461, 420 नकल जमाबन्दी संवत 2015 ग्राम रसुलपुर खाता संख्या 411, 436, 478 नकल जमाबन्दी संवत 2019 ग्राम रसुलपुर खाता संख्या 118, 44 पेश किये गये।

बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने अपनी बहस में कथन किया [illegible] वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य राजीनामा हो गया है। राजीनामा दिनांक 24.02.2022 के अनुसार वाद वर्णित भूमि में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पति/पिता गिरधारीलाल पुत्र तुलसीराम जाति ब्राहम्ण निवासी रसुलपुर का नाम ग्राम ताल स्थित भूमि खसरा नम्बर 694 रकबा 6.58 हेक्टेयर से हजफ किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 को 1/8–1/8 हिस्से का व वादी संख्या 3 लगायत 8 को 1/8 हिस्से का व वादी संख्या 9 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इस हेतु डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान की जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, प्रलेखीय दस्तावेजात, वाद पत्र के अभिवचनों, राजीनामा दिनांक 24.02.2022 में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य हुये आपसी सहमति राजीनामा दिनांक 24.02.2022 के मुताबिक वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

—: आदेश :—

अतः वादीगण का हस्तगत वाद पत्र मुताबिक आपसी सहमति राजीनामा दिनांक 24.02.2022 के स्वीकार किया जाता है। आपसी सहमति राजीनामा दिनांक 24.02.2022 के मुताबिक वादग्रस्त भूमि स्थित वाके ग्राम ताल पटवार मण्डल रसुलपुर तहसील खेतड़ी जमाबन्दी संवत 2075–78 हाल खाता संख्या 157 के हाल खसरा नम्बर 694 रकबा 6.58 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पति/पिता गिरधारीलाल पुत्र तुलसीराम जाति ब्राहम्ण निवासी रसुलपुर का नाम हजफ किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 को 1/8–1/8 हिस्से का व वादी संख्या 3 लगायत 8 को 1/8 हिस्से का व वादी संख्या 9 को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। राजीनामा दिनांक 24.02.2022 प्रदर्श–(अ) इस वाद पत्र का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:42:07 IST
Reason: SelfAttested